-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार कर व्यक्ति को गम्भीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज 22.04.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार कर व्यक्ति को गम्भीर रुप से घायल करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम चन्दवारा के रहने वाले रामदयाल उर्फ दयालू पुत्र उज्ज्वल सिंह ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही रामसागर उर्फ बबलू पुत्र जगपाल सिंह को दिनांक 10.04.2025 को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। इस सम्बन्ध में दिनांक 14.04.2025 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम मे आज दिनांक 22.04.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम चन्दवारा से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद किया गया।

बरामदगी-

❖ 01 कुल्हाड़ी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामदयाल उर्फ दयालू पुत्र उज्ज्वल निवासी चन्दवारा थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
2. कां0 विवेक यादव
3. कां0 गोविन्द यादव